न्यायालय उपजिलाधिकारी, सहसवान(बदायूँ)
वाद सं0:- 02 धारा:-143जमी0वि0एवं भू0व्य0अधि0
ग्रामः-फतनपुर टप्पा हवेली परगनाः-सहसवान
हबीबुर्रहमान बनाम सरकार

आदेश

प्रार्थी हबीबुर्रहमान पुत्र मौहम्मद इम्दादुलहक निवासी --41--ए0डी0डी0ए0फ्लैट मातासुंदरी रोड नई दिल्ली--2 अध्यक्ष सवेरा फाउण्डेशन एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट 41--ए0डी0डी0ए0 फ्लैट मातासुंदरी रोड नई दिल्ली--2 का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 143 जमी0वि0एवंभू0व्य0अधि0 इस आशय के साथा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया कि भूमि गाटा संख्या 228 रक्वा 0.936 है0 भूमि स्थित ग्राम फतनपुर टप्पा हवेली परगना व तहसील सहसवान के 1/2 भाग अर्थात 0.468 है0 का संकमणीय भूगिधर एवं काबिज आराजी है। उक्त भूमि में प्रार्थी का भाग दक्षिण की ओर है प्रार्थी की भूमि कृषि प्रयोजन में नहीं आ रही है अतः भूमि गाटा संख्या 228 रक्वा 0.936 है0 में से 0.468है0 स्थित ग्राम फतनपुर टप्पा हवेली धारा 143 जमी0वि0एवंभू0व्य0अधि0 के अंतर्गत आबादी घोषित किए जाने की प्रार्थना की गयी है।

प्रार्थी के द्वारा न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रेषित किए जाने के फलस्वरूप प्रा0 पत्र के साथ संलग्न अभिलेख उद्धरण खतौनी वर्ष 1416--1421फ0 अभिलेख के आधार पर तहसीलदार सहसवान से स्थल जांचकर भूमि अंतर्गत धारा 143 आबादी घोषित किए जाने के संबंध में आख्या मांगी गयी। तहसीलदार, सहसवान द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न अभिलेखीय आधार पर जांच आख्या न्यायालय में निर्धारित प्रारूप पर दिनॉक 13.12.11 जांच कर इस उल्लेख सहित भेजी गयी है कि ग्राम फतनपुर टप्पा हवेली बाहर चुंगी परगना व तहसील सहसवान जिला बदायूँ में गाटा संख्या 228 क्षे0फ0 0.936है0 में से 0.468 है0 में मौके पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। गाटा संख्या 228मि0 रक्वा 0.468 में सवेरा फाइनेंस एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट की इमारत का निर्माण हो रहा है। उक्त भाग में बागवानी व कुक्कुट पालन भी नहीं हो रहा है। अतः गाटा संख्या 228 रक्वा 0.468 लगान 7.95 पैसा को अकृषक भूमि घोषित कर भूराजस्व से मुक्त किए जाने की संस्तुति की गयी है।

तहसीलदार सहसवान की आख्या दिनॉक 13.12.11 की संस्तुति के आधार पर सवेरा फाइनेंस एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट--41 ए0डी0डी0ए0 फ्लैट मातासुंदरी रोड नई दिल्ली--2 द्वारा अध्यक्ष मौहम्मद हबीबुर्रहमान पुत्र मौहम्मद इम्दादुलहक निवासी 41--ए0डी0डी0ए0 फलैट मातासुंदरी रोड नई दिल्ली भूमि स्थित ग्राम फतनपुर टप्पा हवेली परगना व तहसील सहसवान जनपद बदायूँ की भूमि खाता संख्या 281 के गाटा संख्या 228 रक्वा 0.936 है0 में से 0.468 है0 लगानी 7.95 पैसे भू0रा0 से मुक्त करते हुए अकृषक घोषित की जाती है। तहसीलदार, सहसवान की आख्या इस आदेश का अंग रहेगी। परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की प्रति उपनिबंधक सहसवान को भी भेजी जाए। पत्रावली वाद आवश्यक अनुपालन दाखिल दफतर हो।

24/12/11
(दिजय कुमार)
उपजिलधिकारी
सहसवान।

Chairman
Sabera Foundation & Research Institute

फोटोकॉपी आदेश दि० 28.12.11

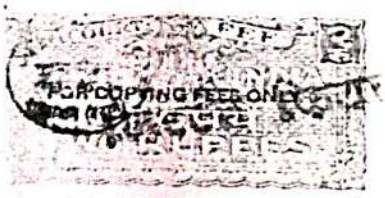

न्यायालय उपजिलाधिकारी सहसवान
वाद सं० - 02 धारा–143ज०वि०एवंभू०व्य०अधि०
ग्राम–फतनपुर टप्पा हवेली परगना–सहसवान
हबीबुर्रहमान बनाम सरकार

आदेश

प्रार्थी हबीबुर्रहमान पुत्र मोहम्मद इम्दादुलहक निवासी 41–ए०डी०डी०ए० फ्लैट मातासुंदरी रोड नई दिल्ली–2 अध्यक्ष सबेरा फाउण्डेशन एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट 41–ए०डी०डी०ए० फ्लैट मातासुंदरी रोड नई दिल्ली–2 का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 143 ज०वि०एवंभू०व्य०अधि० इस आशय के साथ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया कि भूमि गाटा संख्या 228 रक्बा 0.936 हे० भूमि स्थित ग्राम फतनपुर टप्पा हवेली परगना व तहसील सहसवान के 1/2 भाग अर्थात 0.468 हे० का संक्रमणीय भूमिधर एवं काबिज आराजी है। उक्त भूमि में प्रार्थी का भाग दक्षिण की ओर है प्रार्थी की भूमि कृषि प्रयोजन में नहीं आ रही है अतः भूमि गाटा संख्या 228 रक्बा 0.936 हे० में से 0.468हे० स्थित ग्राम फतनपुर टप्पा हवेली धारा 143 ज०वि०एवंभू०व्य०अधि० के अंतर्गत अकृषक घोषित किए जाने की प्रार्थना की गयी है।

प्रार्थी के द्वारा न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रेषित किए जाने के फलस्वरूप प्रा० पत्र के साथ संलग्न अभिलेख उद्धरण खतौनी वर्ष 1416–1421फ० अभिलेख के आधार पर तहसीलदार सहसवान से स्थल जांचकर भूमि अंतर्गत धारा 143 आबादी घोषित किए जाने के संबंध में आख्या मांगी गयी। तहसीलदार, सहसवान द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न अभिलेखीय आधार पर जांच आख्या न्यायालय में निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 13.12.11 जांच कर इस उल्लेख सहित भेजी गयी है कि ग्राम फतनपुर टप्पा हवेली बाहर चुंगी परगना व तहसील सहसवान जिला बदायूँ में गाटा संख्या 228 क्षे०फ० 0.936हे० में से 0.468 हे० मे मौके पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है गाटा संख्या 228 मे० रक्बा 0.468 में सबेरा ~~फाउण्डेशन~~ फाउण्डेशन एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट की इमारत का निर्माण हो रहा है। उक्त भाग में बागवानी व कुक्कुट पालन भी नहीं हो रहा है। अतः गाटा संख्या 228 रक्बा 0.468 लगान 7.95 पैसा को अकृषक भूमि घोषित कर भूराजस्व से मुक्त किए जाने की संस्तुति की गयी है।

तहसीलदार, सहसवान की आख्या दिनॉक 13.12.11 की संस्तुति के आधार पर सबेरा ~~फाउण्डेशन~~ फाउण्डेशन एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट- 41 ए०डी०डी०ए० फ्लैट मातासुंदरी रोड नई दिल्ली–2 द्वारा अध्यक्ष मोहम्मद हबीबुर्रहमान पुत्र मोहम्मद इम्दादुलहक निवासी 41–ए०डी०डी०ए० फ्लैट मातासुंदरी रोड नई दिल्ली भूमि स्थित ग्राम फतनपुर टप्पा हवेली परगना व तहसील सहसवान जनपद बदायूँ की भूमि खाता संख्या 281 के गाटा संख्या 228 रक्बा 0.936 हे० में से 0.468 हे० लगानी 7.95 पैसा भूराजस्व से मुक्त करते हुए अकृषक घोषित की जाती है। तहसीलदार, सहसवान की आख्या इस आदेश का अंग रहेगी। परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की प्रति तहसीलदार, सहसवान को भी भेजी जाए। पत्रावली बाद आवश्यक अनुपालन दाखिल दफ्तर हो।

(विजय कुमार)
उपजिलाधिकारी
सहसवान।
बदायूँ

28/12/2011

CHAIRMAN
SABERA FOUNDATION &
RESEARCH INSTITUTE

प्रारूप संख्या 29 (नियम 327)

तलाशकाप्रमाणपत्र

महानिरीक्षक निबन्धन उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के पत्रांक दिनांक 12.06.1973 द्वारा सशोधित (हिन्दी अनुवाद)

प्रमाणपत्र संख्या 43 वर्ष 2017आवेदन पत्र संख्या 66 वर्ष 2017

श्री मु0हवीवुर्रमान पुत्र श्री मु0 इमदादुलहक नि0 41 ए0डी0डी0ए0 फलैट माता सुन्दरी रोड नई दिल्ली द्वारा निम्नलिखित सम्पत्ति से सम्बन्धित रजिस्ट्रीकृत कृत्यों और वारा ंका विवरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किये जाने पर।

मैं एतद द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि वही संख्या और तत्सम्बन्धित इन्डैक्सों को वर्ष 06–06–2005 से 05.06.2017 तक तलाश की गयी और उपरोक्त सम्बन्धित को प्रमाणित करने वाले निम्नलिखित कृत्य एव वार पाये गये/ या कोई वार नही पाया गया।

भूमि स्थित ग्राम – फतनपुर टप्पा हवेली (वा0चुं0) पर0 व तह0 सहसवान जनपद बदायूं

गाट सं0 228/0.936 हे0

सवेरा फाउण्डेषन एण्ड रिसर्च इस्टीटूयूट 41,ए0डी0डी0ए0 फलैट माता सुन्दरी रोड नई दिल्ली 2,अध्यक्ष श्री मु0हवीवुर्रमान पुत्र श्री मु0 इमदादुलहक नि0 41 ए0डी0डी0ए0 फलैट माता सुन्दरी रोड नई दिल्ली

क0सं0	सम्पत्ति का विवरण	लेखपत्र के निष्पादन की तिथि	प्रकार और मूल्यांकन	पक्षकारो के नाम		लेखपत्र का कम व वर्ष
				निष्पादनकर्ता	दावेदार	
उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार कोइ भार नहीं पाया गया।						

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त कृत्यों और वारों को छोड़कर उक्त सम्पत्ति को प्रमाणित करने वाले कोई अन्य कृत्य या वार नही पाये गये

नोट–

1–इस प्रमाणपत्र में वे वार–कृत्य दिखाये गये जो आवेदक द्वारा दिये गये सम्पत्ति के ब्यौरे के आधार पर ढूँढे गये। यदि रजिस्ट्रीकृत लेखपत्र में सम्पत्तिको आवेदक द्वारा दिये गये वर्णन से किसी दूसरी ढगं से वर्णित किया गया है।तो एसे लेखपत्रो से प्राप्त सूचना को प्रमाणपत्र म ंदर्ज नही किया जाएगा।

2– वांछित तलाश कार्यालय द्वारा यथा सम्भव सावधानी के साथ की गई है और **विभाग प्रमाण पत्र में शामिल सूचना के लिए उत्तरदायी नही होगा।**इस प्रमाणपत्र में उन लेखपत्रों से सम्बन्धित सूचना शामिल नही है जो प्रस्तुत हो चुके है परन्तु जिनका आज की तारीख तक रजिस्ट्रीकरण नही हुआहै।

तलाशकर्ता.....

प्रमाणपत्र तैयारकर्ता.....

रजिस्ट्रीकरणअधिकारी

कार्यालय उपनिबन्धक

सहसवान(बदायूं)

5/6/2017